

बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सर्वोत्तम कार्यप्रणाली और विनियामक निर्देशों के अनुरूप निरंतर स्तरोन्नत और कारगर बना रहा है। बैंक के कारोबार की समग्र संवृद्धि और विकास में जोखिम प्रबंधन के महत्व को स्वीकारते हुए एक संपूर्ण जोखिम प्रबंधन ढाँचा तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत जोखिमों की पहचान, निर्धारण, अनुप्रवर्तन, कम करने और उनपर नियंत्रण करने हेतु प्रभावी जोखिम अभिशासन ढांचा, प्रणालियाँ, नीतियाँ और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में नये ढांचे के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न प्रकटीकरणों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित प्रकटीकरण इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हैं:

लागू करने की व्याप्ति

क) समूह के उस शीर्ष बैंक का नाम जिसके लिए ढाँचा लागू होता है।	सिंडिकेट बैंक
ख) लेखाकरण और विनियमन प्रयोजनों के लिए समेकन के आधार में भिन्नताओं की रूपरेखा, समूह के भीतर के संघटनों के विवरण के साथ	लागू नहीं

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ग) सभी सहायक संस्थाओं की पूँजी की सकल राशि की कमी जो समेकन में शामिल नहीं की गई है, अर्थात् जिनकी कटौती की गई है और ऐसी सहायक संस्थाओं के नाम	लागू नहीं
घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल रकम (उदा: चालू बही मूल्य) जो जोखिम भारित है और उनका नाम, उनके संस्थापन या निवेश का देश, इनमें स्वामित्व हित का अनुपात और यदि भिन्न है तो मतदान अधिकार का अनुपात। इसके अतिरिक्त, कटौती करने के बजाय इस उपाय को अपनाने से विनियामक पूँजी पर पड़नेवाले परिमाणात्मक प्रभाव भी दर्शाएं।	लागू नहीं

पूँजीगत ढाँचा

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

क) सभी पूँजीगत लिखतों की मुख्य विशेषताओं की शर्तों एवं नियमों से संबंधित संक्षिप्त सूचना, खासकर उन पूँजीगत लिखतों के मामले में जो टायर-I या टायर-II में शामिल करने हेतु पात्र हैं।

बैंक के टायर-I पूँजी में शेयर पूँजी, निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ और बैंक द्वारा अर्जित निवल लाभ से विनियुक्त कुछ विशिष्ट प्रारक्षित निधियाँ आती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार आइपीडीआई को भी टायर I पूँजी के रूप में परिकल्पित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 8.90% प्र.व. कूपन दर पर रु.194 करोड़ का आइ.पी.डी.आइ. जुटाया है।

टायर-II पूँजी में पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों की कुछ प्रतिशतता, जोखिम प्रावधान जिन्हें टायर-II और अपर टायर-II बांड से नहीं घटाया गया है, शामिल हैं। इन बांडों की शर्तें एवं नियम और उन्हें पूँजी निधियों के रूप में संगणित करने के सिद्धांत भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम के अनुसार हैं।

Bank is continuously upgrading and fine-tuning the Risk Management Systems in tune with best practices and regulatory directions. Recognizing the importance of risk management in the overall growth and development of bank's business, a holistic view of risk management framework has been designed by putting in place an effective risk governance structure, systems, policies and procedures for identification, assessment, monitoring, mitigation and control of risks.

The guidelines issued by Reserve Bank of India, prescribe a series of disclosures in connection with the implementation of the new framework. The following disclosures made are intended to achieve these objectives:

Scope of Application

(a) Name of the top Bank in the group to which the framework applies.	Syndicate Bank
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with brief description of the entities within the group.	Not Applicable

Quantitative Disclosures

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not applicable

CAPITAL STRUCTURE

Quantitative Disclosures

a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier I or in Upper Tier II.

The Tier I capital of the Bank mainly consists of Share capital, free Reserves and certain specific reserves appropriated from the net profit earned by the bank. Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) is also reckoned as Tier I Capital as per the RBI norms.

During the FY 2009-10 Bank has raised IPDI of Rs.194 Crores at a coupon rate of 8.90% p.a. payable annually.

Tier II Capital consists of certain percentage of revaluation reserves, risk provision which are not netted off, Tier II and Upper Tier II Bonds. The terms and conditions of these bonds and the principles of reckoning them as capital funds are guided by RBI regulation.

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने 10 वर्ष के लिए 8.49% प्र.व. की कूपन दर पर रु.200 करोड़ लोवर टायर-II बंधपत्र जुटाया है।

(रुपये करोड़ों में)

During the FY 2009-10 Bank has raised Lower Tier II Bonds of Rs.200 Crores at a coupon rate of 8.49% p.a. for 10 years.

(Rs. in Crores)

ख) निम्नलिखित के प्रकटीकरण के साथ टायर-I पूँजी की रकम disclosure of	5978.69
• प्रदत्त शेयर पूँजी	521.97
• प्रारक्षित निधियाँ	4700.40
• नवोन्मेषी लिखतें	773.00
• अन्य पूँजी लिखतें	0.00
• टायर I पूँजी, से कटौती की गई रकम, सहयोगी संस्थाओं में ईक्विटी निवेश	16.68
ग) टायर-II पूँजी की कुल रकम (टायर-II पूँजी से कटौती निवल)	3239.22
घ) ऋण पूँजी लिखतें, जो अपर टायर-II कटौती पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र हैं	
बकाया कुल रकम	819.70
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	-
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	819.70
ङ) गौण ऋण, जो लोवर टायर-II पूँजी में शामिल करने के लिए पात्र है - बकाया कुल रकम	2025.00
उसमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई रकम	200.00
पूँजी निधियों के रूप में गणना में ली जानेवाली पात्र रकम	1815.00
च) पूँजी से की गई अन्य कटौतियाँ, यदि कोई हों	
सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश (50%)	16.67
छ) कुल पात्र पूँजी	9217.91

(b) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	5978.69
• Paid-up share capital	521.97
• Reserves	4700.40
• Innovative instruments	773.00
• Other capital instruments	0.00
• Amounts deducted from Tier I capital, Equity investments in Associates (50%)	16.68
(c) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	3239.22
(d) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital	
Total amount outstanding	819.70
Of which amount raised during the current year	-
Amount eligible to be reckoned as capital funds	819.70
(e) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
Total amount outstanding	2025.00
Of which amount raised during the current year	200.00
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1815.00
(f) Other deductions from capital, if any.	
Equity investments in Associates (50%)	16.67
(g) Total Eligible Capital	9217.91

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures

(a) A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities:

- Bank has targeted a CRAR of 11.50% based on a projected credit growth of 10%. On account of International presence, maintenance of CRAR of 12% with Tier I CRAR of 8% is envisaged during the next four years.
- Considering the business profile and the projected growth, capital is assessed with reference to

Pillar I risks namely,

- Credit Risk – Standardized approach
- Market Risk – Standardized duration approach
- Operational Risk- Basic Indicator Approach and

Pillar II risks namely,

- Concentration Risk
- Liquidity Risk
- Interest rate risk in banking book
- Residual Risk
- Reputation Risk
- Strategic Risk
- Earnings Risk
- Capital Risk

पूँजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) वर्तमान और भविष्य के कार्यकलापों को समर्थन प्रदान करने हेतु अपनी पूँजी पर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण के संबंध में संक्षिप्त विचार विमर्श:

- बैंक ने 10% की अनुमानित ऋण संवृद्धि के आधार पर 11.50% के सी.आर.ए.आर. का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण अगले चार वर्षों के दौरान 8% के टायर I सी.आर.ए.आर. के साथ 12% का सी.आर.ए.आर. रखने का लक्ष्य रखा गया है।
- कारोबार ढांचा और अनुमानित संवृद्धि पर विचार करते हुए निम्नलिखित के संदर्भ में पूँजी का निर्धारण किया गया है:

पिलर I जोखिम नामतः

- ऋण जोखिम – मानकीकृत दृष्टिकोण
- बाजार जोखिम – मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण
- परिचालन जोखिम – मूल सूचक दृष्टिकोण और

पिलर II जोखिम नामतः

- संकेन्द्रन जोखिम
- चलनिधि जोखिम
- बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम
- अवशिष्ट जोखिम
- प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम
- रणनीति संबंधी जोखिम
- अर्जन संबंधी जोखिम
- पूँजीगत जोखिम

iii) बैंक, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की धारित आस्ति में प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूंजी आवश्यकता का निर्धारण करता है। भावी कार्यकलापों से संबंधित पूंजी पर्याप्तता के मामले में बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित आइ.सी.ए.ए.पी. प्रलेख (बासेल II ढांचे के पिलर 2 के अंतर्गत आवश्यकताओं से संबंधित भा.रि.बैं. के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार) के अनुसार अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कारोबार योजना की आवधिक समीक्षा करके पूंजी आवश्यकता का निर्धारण किया है। इसके अतिरिक्त, टायर I और टायर II पूंजी जुटाने के लिए बैंक के लिए उपलब्ध हेडरूम भविष्य के कार्यकलापों के प्रति अतिरिक्त सी.आर.ए.आर. की पूर्ति हेतु पूंजी विन्यास के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करेगा।

iii) The Bank assesses the capital requirement keeping in view the anticipated growth in weighted assets of credit risk, market risk and operational risk. As regards the adequacy of capital to support the future activities, the Bank has drawn an assessment of capital requirement through periodically review of the business plan with the trends in the economy, as a part of the ICAAP document (in line with RBI guidelines on requirements under Pillar 2 of Basel II framework), duly approved by the Board. The surplus CRAR shall act as a cushion to support the future activities. Moreover, the headroom available for the Bank for mobilizing Tier I and Tier II capital shall additionally support capital structure to meet the required CRAR against future activities.

बोर्ड को आवधिक रूप से कारोबार नीतियों और भविष्य की योजनाओं के आधार पर कारोबार आधारित पूंजी योजना और पूंजी अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है।

The Board is periodically apprised of the capital driven business plan and capital requirement, based on business strategies and future plans.

बासेल-II ढांचे के अंतर्गत पूंजी के परिकलन के उद्देश्य से बैंक ने अपने सभी कारपोरेट आस्ति वर्ग और उन अन्य आस्ति वर्गों से खातावार ब्यौरे प्राप्त किए हैं जिनकी लेखा परीक्षा की गयी है।

For the purpose of computation of capital under Basel II framework, bank collects account wise details of all its corporate asset class and data on other asset classes which are subjected to the audit process.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

Quantitative Disclosures

(b) Capital Requirements for Credit Risk

(Rs. in Crores)

ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं	(रु. करोड़ों में)
संविभाग जो मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन हैं	5800.32
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	कुछ नहीं

Portfolios subjected to standardized approach	5800.32
Securitization Exposures	NIL

ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षाएं:

(c) Capital Requirements for Market Risk Standardised Duration Approach

(Rs. in Crores)

मानकीकृत दृष्टिकोण	(रु. करोड़ों में)
ब्याज दर जोखिम	287.33
विदेशी मुद्रा जोखिम	49.26
ईक्विटी जोखिम	10.26

Interest rate risk	287.33
Equity position risk	49.26
Foreign exchange risk	10.26

घ) परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की अपेक्षा

(d) Capital Requirement for Operational Risk Basic Indicator Approach

(Rs. in Crores)

मूल सूचक दृष्टिकोण	(रु. करोड़ों में)
मूल सूचक दृष्टिकोण के अनुसार पूंजी अपेक्षा	383.23

Capital Requirement as per Basic Indicator Approach	383.23
---	--------

ङ) बैंक के लिए कुल पूंजी अनुपात

(e) Total Capital Ratio for the Bank

नये पूंजी पर्याप्तता ढांचे के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात	12.70
बासेल-II के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में टायर-I पूंजी का अनुपात	8.24
बासेल-I मानदण्डों के अनुसार जोखिमवाली आस्तियों की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात	11.20
बासेल-I के अनुसार जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में टायर-I पूंजी का अनुपात	7.26

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per New Capital Adequacy Framework	12.70
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -II	8.24
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio - as per Basel I norms	11.20
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel -I	7.26

अपेक्षित पूंजी पर विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा

(रु. करोड़ों में)

Prudential floor on capital required

Rs. in Crores)

पुनरीक्षित ढांचे के अनुसार आवश्यक न्यूनतम पूंजी	6530.40
ऋण और बाजार जोखिम के लिए बासेल-I ढांचे के अनुसार	
आवश्यक न्यूनतम पूंजी (बासेल I का 90%)	6691.14
विवेकसम्मत न्यूनतम सीमा-उपरोक्त में से अधिकतम	6691.14

Minimum capital required as per the revised framework	6530.40
Minimum capital required as per Basel I framework for credit and market risk. (90% of Basel I)	6691.14
Prudential floor- Higher of the above	6691.14

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक द्वारा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण मानदंडों के लिए खातों के वर्गीकरण तथा लेखाकरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राप्त परिभाषा का अनुसरण किया जाता है:

इस परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित ऋण/अग्रिम अनर्जक आस्ति माना जाता है:

1. मीयादी ऋणों के मामले में जहाँ ब्याज और/या मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
2. ओवरड्राफ्ट/नकद ऋण के मामले में जहाँ खाता 90 दिन से अधिक अवधि से अनियमित हो ।
3. खरीदे गए तथा भुनाए गए बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिन से अधिक अवधि से अतिदेय हो ।
4. अल्पावधि के लिए फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों से अतिदेय हो ।
5. लंबी अवधि के फसलों हेतु प्रदान किए गए ऋणों को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा, जब मूल राशि या उस पर देय ब्याज की किस्त एक फसली मौसम से अतिदेय हो ।
6. अन्य खातों के मामलों में, कोई भी प्राप्य राशि, जो 90 दिनों की अवधि से ज्यादा दिनों से अतिदेय हो ।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर विचार विमर्श:

बैंक को कई अनिश्चितताएं और जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ तो बैंकिंग कारोबार में स्वाभाविक रूप से जुड़ी हुई हैं और कुछ अप्रत्याशित आर्थिक एवं परिस्थितिजन्य कारणों से पैदा होती हैं । इस प्रकार की जोखिमों तथा अनिश्चितताओं के प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किसी बैंक द्वारा अपनाई जाने वाली समग्र प्रक्रिया को ही जोखिम का प्रबंधन कहते हैं । जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के ज़रिए बैंक के पास जोखिमों के मूल्यांकन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण के वैज्ञानिक साधन एवं पद्धतियाँ उपलब्ध होती हैं । ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक के पास एक प्रभावी नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है । निदेशक मंडल की उप समिति के रूप में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हैं । यह समिति ऋण जोखिम सहित विभिन्न प्रकार की जोखिमों के मामले में संयोजित जोखिम प्रबंधन की नीति और रणनीतियाँ बनाती है । एक और ऋण जोखिम प्रबंधन समिति है, यह शीर्ष स्तर की कार्यपालक समिति है, जो ऋण जोखिम नीति और रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है ।

बैंक ने एक सुपरिभाषित ऋण जोखिम नीति अपनाई है, जो ऋण जोखिम की प्रवृत्तियों एवं ऋण जोखिम की निगरानी तथा प्रबंधन प्रक्रियाओं के अनुरूप स्वयं को ढाल सकती है । उक्त नीति को उद्योग, विनियामक, आर्थिक और बाजार की गतिविधियों के अनुरूप समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है । उक्त नीति ऋण मंजूर करने के लिए विवेक सम्मत सीमाएँ निर्धारित करती है ।

ऋण जोखिम की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि यह उधारकर्ताओं द्वारा अपने संविदागत दायित्वों को निभाने में असफलता या उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में गिरावट की वजह से संभाव्य नुकसान है ।

बैंक ने क्रिसिल के सहयोग से पी.डी. और एल.जी.डी. सृजित करने की क्षमतायुक्त जोखिम श्रेणी निर्धारण मॉडेल तैयार किया है । बैंक में ऋण के प्रकार और राशि के अनुरूप सॉफ्टवेयर युक्त श्रेणी निर्धारण मॉडेल है । बैंक ने ऋण सीमाओं की मंजूरी के लिए विभिन्न स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट अधिकार दिया है । निर्दिष्ट सीमा से अधिक रकम के मीयादी ऋण प्रस्तावों की मंजूरी क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर गठित ऋण-समितियों द्वारा की जाएगी । बड़ी रकम के ऋण प्रस्तावों को नैगम कार्यालय के ऋण अनुमोदन समिति को सहमति हेतु भेजा जाएगा । परियोजना मूल्यांकन कक्ष उच्च मूल्य के परियोजनाओं का मूल्यांकन करेगा । ऋण मंजूरी कार्य को ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य से अलग कर दिया गया है ।

a) Qualitative Disclosures:

Bank follows RBI definition of default for classifying and accounting for income recognition, asset classification and provisioning norms:

Non-Performing asset is defined as a loan/advance where

1. Interest and/or Installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of term loan.
2. The account remains out of order for 90 days in respect of an overdraft/cash credit
3. Bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted
4. A loan granted for short duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons.
5. A loan granted for long duration crops is treated as NPA, if the installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season.
6. Any amount to be received remains overdue for a period of more than 90 days in respect of other accounts.

Discussion of the bank's credit risk management policy:

The Bank is exposed to uncertainties and risk due to various economic or environmental factors, some of them inherent to the banking business and others which are unforeseen and unexpected. Risk management is the comprehensive process adopted by a bank to minimize adverse effects of such risks and uncertainties. Through the process of risk management the bank equips itself with tools and systems capable of assessing, monitoring and controlling risk exposures in a scientific manner. Bank has an effective governance structure for managing credit risk. Risk Management Committee, a sub-committee of the Board headed by the Chairman and Managing Director devises the policy and strategies for Integrated Risk Management containing various risk exposures of the bank including credit risk. There is also a Credit Risk Management Committee, an apex level executive committee responsible for implementation of the credit risk policy and strategies.

Bank has a well laid down credit risk policy, which clearly articulates credit risk appetite and the processes for monitoring and managing the credit risk. The policy is periodically updated in tune with industry, regulatory, economic and market developments. The policy prescribes prudential limits for taking up credit exposures.

Credit risk is defined as the possibility of losses arising out of failure of borrowers to fulfill their contractual commitments or the diminution in the credit quality of borrowers.

Bank in association with CRISIL has developed a risk rating assessment model with the capability to generate PD and LGD. There are software driven rating models depending on the type and quantum of exposures. Bank has put in place clearly delegated powers to functionaries at different levels to sanction credit limits. Term loan proposals beyond specified limits are cleared by Credit Committees constituted at Regional Office level. Large loan proposals are referred to Credit Committee at Corporate Office for clearance before sanction. Project Appraisal Cell evaluates high value projects. Credit sanction is de-linked from credit risk management function.

बैंक में एक ऋण समीक्षा की प्रणाली है जिसका अनुप्रवर्तन नैगम कार्यालय के जोखिम प्रबंधन और अनुप्रवर्तन विभाग और क्षेत्रीय कार्यालयों के जोखिम प्रबंधन कक्ष द्वारा किया जाता है। निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा आर्बिट्रिट श्रेणी निर्धारणों की समीक्षा प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत संवेदनशील क्षेत्र के खातों की समीक्षा मासिक/त्रैमासिक अंतरालों से की जाती है। ₹.5.00 करोड़ और उस से अधिक रकम की सीमा के लिए तथा ऋण के प्रथम निर्माण के तारीख से 45 दिनों के भीतर विशेष पोर्टफोलियो लेखा परीक्षा प्रणाली शुरू की गयी है और ₹.1.00 करोड़ और उस से अधिक रकम की सीमाओं के मामले में आर.बी.आइ.ए. के साथ पोर्टफोलियो लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। उपर्युक्त उच्चतम सीमा से अधिक रकम के उन खातों को जो स्टॉक और बही ऋण द्वारा प्रतिभूत हैं उनकी वार्षिक स्टॉक लेखा परीक्षा की जाएगी। बैंक में ऋण आस्तियों की स्थिति के निगरानी करने हेतु सम्यक् तत्परता का पालन करने, आवधिक स्टॉक तथा यूनिट के निरीक्षण करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है।

ऋण संविभाग में व्यक्ति/समूह संकेन्द्रीकरण का प्रबंधन मंडल द्वारा आंतरिक सीमाएं निर्धारित करके किया जाता है। उद्योगवार और क्षेत्रवार ऋण सीमाएं निर्धारित करने के द्वारा क्षेत्र/उद्योग में संकेन्द्रण जोखिम को कम किया जाता है। बैंक ने अग्रिमों के साख श्रेणीवार वितरण के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं और एक सुविस्तृत ऋण संविभाग सुनिश्चित करने के लिए अग्रिमों के भौगोलिक वितरण पर भी निगरानी रखता है।

परिमाणुत्मक प्रकटीकरण:

ख) कुल सकल ऋण प्रकटीकरण (रुपये करोड़ों में)

निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	91,442
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	9,311

ग) ऋण प्रकटीकरण का भौगोलिक वितरण (रुपये करोड़ों में)

समुद्रपारीय	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	8,843
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	58
घरेलू	
निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	82,599
गैर-निधि आधारित ऋण प्रकटीकरण	9,253

घ) उद्योग वार प्रकटीकरण (निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों)

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं.	उद्योग	ऋण		निधि	कुल प्रकटीकरण
		निवेश आधारित	गैर निधि आधारित		
1.	संरचना	10162.78	1229.91	42.86	11435.55
2.	पेट्रोलियम	796.24	130.74	30.01	956.99
3.	सभी अभियांत्रिकी	774.69	2413.73	3.53	3191.95
4.	लोहा और इस्पात	2786.57	463.45	7.83	3257.85
5.	रासायनिक रंग एवं पेंट	925.24	423.00	25.04	1373.28
6.	निर्माण	401.46	1058.98	68.81	1529.25
7.	वस्त्र	1365.88	60.57	12.33	1438.78
8.	रत्न और आभूषण	560.74	153.15	-	713.89
9.	सिमेंट और सिमेंट उत्पाद	872.25	0.44	11.02	883.71

औद्योगिक क्षेत्र को प्रदत्त ऋणों में से बैंक द्वारा संरचना हेतु प्रदत्त ऋणों (निधि - आधारित तथा गैर-निधि आधारित दोनों) का प्रतिशत बैंक द्वारा प्रदत्त सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित ऋणों की तुलना में 11.87% है।

Bank has a system of Loan Review mechanism which is performed by Risk Management Department at Corporate Office and by Risk Management cell at Regional Offices. Ratings allocated by lower officials are confirmed by the reviewing authority. Review of sensitive sector accounts under various categories is made on a monthly/quarterly basis. System of Special Portfolio Audit is introduced for limit of Rs. 5 Crore and above within 45 days of first release of loan and in case of limits of Rs.1 crore and above, the Portfolio Audit to be conducted along with RBIA. Annual stock audit of accounts above threshold limit secured by stocks and book debts is stipulated. Bank has well laid down process for conducting Due Diligence, periodic stock and unit inspection, in order to monitor the health of loan assets.

Individual/group concentrations in credit portfolios are managed by fixing internal limits by the Board. Concentration risk in sector/industries is addressed through stipulation of industry-wise and sector-wise exposure limits. Bank has prescribed caps for credit rating wise distribution of advances and also monitors geographical distribution of advances to ensure a well diversified portfolio.

Quantitative Disclosures:

(b) Total Gross Credit Exposures (Rs. in Crores)

Fund based credit exposures	91,442
Non-fund based credit exposures	9,311

(c) Geographic distribution of Credit Exposures

(Rs. in Crores)

Overseas	
Fund based credit exposures	8,843
Non-fund based credit exposures	58
Domestic	
Fund based credit exposures	82,599
Non-fund based credit exposures	9,253

(d) Industry-wise distribution of exposures (Both fund based and non-fund based)

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Industry	Credit		Investment	Total Exposure
		Fund Based	Non-Fund Based		
1.	Infrastructure	10162.78	1229.91	42.86	11435.55
2.	Petroleum	796.24	130.74	30.01	956.99
3.	All Engineering	774.69	2413.73	3.53	3191.95
4.	Iron and Steel	2786.57	463.45	7.83	3257.85
5.	Chemicals Dyes & Paints	925.24	423.00	25.04	1373.28
6.	Construction	401.46	1058.98	68.81	1529.25
7.	Textiles	1365.88	60.57	12.33	1438.78
8.	Gems and Jewellery	560.74	153.15	-	713.89
9.	Cement & Cement Products	872.25	0.44	11.02	883.71

Among industrial exposures, bank's exposure to infrastructure (fund based and non-fund based) is 11.87% of gross fund based and non-fund based credit exposure of the bank.

ड) आस्तियों के अवशिष्ट संविदागत परिपक्वतावार विश्लेषण (e) Residual contractual maturity-wise breakdown of assets

(रुपये करोड़ में Rs. in Crore)

अवशिष्ट परिपक्वता Residual Maturity	1 दिन 1 day	2-7 दिन 2 to 7 days	8-14 दिन 8 to 14 days	15-28 दिन 15 to 28 days	29 दिनों से 3 महीने तक 29 days to 3 mths	3 महीने से अधिक और 6 महीने तक Over 3 mths to 6 mths	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक Over 6 mths to 1 year	1 वर्ष से 3 वर्ष तक Over 1 year to 3 years	3 वर्ष से 5 वर्ष तक Over 3 years to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
i) ऋण और अग्रिम Loans & Advances	2943.50	2645.17	1607.99	1901.18	9175.02	5124.42	10377.23	32855.14	11338.45	12438.26	90406.36
ii) निवेश एवं प्रतिभूतियाँ Investments & Securities	876.22	33.78	0.00	1991.81	4626.31	3081.56	3695.89	7813.03	2175.02	8717.30	33010.93
iii) जमाराशियाँ Deposits	493.84	4804.79	3098.63	3301.98	16093.18	11968.98	8293.93	28734.06	7093.85	33142.55	117025.79
iv) उधार राशियाँ Borrowings	0.23	0.00	0.00	0.00	3759.93	348.58	1738.86	2170.71	504.95	31.73	8554.98
v) विदेशी मुद्रा अस्तियाँ Foreign Currency Assets	795.13	1436.97	517.95	1112.66	2756.99	1155.64	483.35	974.72	708.30	296.01	10237.74
vi) विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	567.37	951.68	670.47	649.87	3266.58	1496.61	1329.27	603.33	2.41	0.00	9537.58

च) अनर्जक आस्तियों की राशि

(रुपये करोड़ों में)

अवमानक	955.40
संदिग्ध 1	568.37
संदिग्ध 2	456.25
संदिग्ध 3	10.22
हानि आस्तियाँ	16.58

ज) निवल अनर्जक आस्तियाँ

(रुपये करोड़ों में)

निवल अनर्जक आस्तियाँ	963.20
----------------------	--------

झ) अनर्जक आस्ति अनुपात

(रुपये करोड़ों में)

सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियाँ	2.19%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियाँ	1.07%

ञ) अनर्जक आस्तियों (सकल) में बदलाव

(रुपये करोड़ों में)

अथशेष	1594.54
परिवर्धन	1491.52
कटौती	1079.24
इति शेष	2006.82

ट) अनर्जक आस्तियों के लिए रखे गए प्रावधानों में बदलाव

(रुपये करोड़ों में)

अथ शेष	926.04
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	530.56
बटूटे खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	459.44
इति शेष	997.16

ठ) अनर्जक निवेशों की रकम

(रुपये करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों की रकम	15.10
-----------------------	-------

(f) Amount of NPAs

(Rs. in Crores)

Substandard	955.40
Doubtful 1	568.37
Doubtful 2	456.25
Doubtful 3	10.22
Loss Assets	16.58

(g) Net NPAs

(Rs. in Crores)

Net NPA as on 31-03-2010	963.20
--------------------------	--------

(h) NPA Ratios

(Rs. in Crores)

Gross NPAs to Gross Advances	2.19%
Net NPAs to Net Advances	1.07%

(i) Movement of NPAs (Gross)

(Rs. in Crores)

Opening Balance	1594.54
Additions	1491.52
Reduction	1079.24
Closing Balance	2006.82

(j) Movement of Provisions for NPAs

(Rs. in Crores)

Opening Balance	926.04
Provisions made during the year	530.56
Write-off/ Write-back of excess provisions	459.44
Closing Balance	997.16

(k) Amount of non-performing investments

(Rs. in Crores)

Amount of non-performing investments	15.10
--------------------------------------	-------

ड) अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान की राशि (रुपये करोड़ों में)

अनर्जक निवेशों के लिए रखे गए प्रावधान	11.41
---------------------------------------	-------

ढ) निवेशों में होने वाले मूल्यहास हेतु रखे गए प्रावधानों में बदलाव (रुपये करोड़ों में)

अथ शेष	146.60
वर्ष के दौरान बनाए गए प्रावधान	15.51
बट्टा खाते डालना/ अधिक प्रावधान का प्रतिलेखन	79.34
इति शेष	82.77

मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन लाए गए निवेश संविभाग पर प्रकटीकरण

बैंक ने, मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्दिष्ट जोखिम भार लागू करते हुए अपने निवेश संविभाग पर ऋण जोखिम पूंजी का परिकलन किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने, नैगम निवेश संविभाग के लिए अधिमाम्य जोखिम भार लागू करने हेतु बाह्य श्रेणी निर्धारण की पहचान की है। बाहरी श्रेणी निर्धारण को लागू करने के उद्देश्य से, भा.रि.बैं. ने निम्नलिखित बाह्य साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी की पहचान की है:

1. क्रिसिल
2. इक्रा
3. केयर
4. फिच (इंडिया)

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध बाहरी श्रेणी निर्धारणों का उपयोग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित परिकलन प्रक्रिया के माध्यम से अधिमाम्य जोखिम भार लागू करने हेतु किया जाएगा।

- * दीर्घावधि और अल्पावधि बैंक ऋण के श्रेणी निर्धारण का उपयोग क्रमशः बैंक के दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों के लिए किया जाता है।
- * जहाँ जारीकर्ता का श्रेणी निर्धारण तय किया गया है, वहाँ उसी श्रेणी निर्धारण को बैंक के निवेश के लिए उपयोग किया जाएगा।
- * बाहरी सार्वजनिक श्रेणी निर्धारण का उपयोग तभी किया जाएगा जब हमारे निवेश अधिक होते हैं या बाहरी श्रेणी निर्धारण के कारण हाते हैं।
- * अल्पावधि श्रेणी निर्धारण निर्गम विशिष्ट होते हैं और उनका उपयोग दीर्घावधि निवेशों के परिकलन के लिए नहीं किया जाता है। फिर भी, जहाँ-कहीं गैर श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों पर अल्पावधि श्रेणी निर्धारण लागू किया जाता है, वहाँ संगत अल्पावधि निवेशों पर ऐसा जोखिम भार लागू किया जाएगा जो काउंटरपार्टी के श्रेणी निर्धारित अल्पावधि निवेशों के लिए लागू होनेवाले जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊँचा होगा।
- * बाहरी एजेंसियों द्वारा निर्धारित बंध पत्र/डिबेंचर की अवधि को श्रेणी निर्धारण एजेंसियों द्वारा प्रतिसंदाय हेतु गणना में ली गयी कुल अवधि के अनुसार बैंक के निवेश के अवशिष्ट परिपक्वता के परिकलन के लिए गणना में लिया जाएगा।

(I) Amount of provisions held for non-performing investments (Rs. in Crores)

Provisions held for non-performing investments	11.41
--	-------

(m) Movement of provisions for depreciation of investments (Rs. in Crores)

Opening Balance	146.60
Provisions made during the year	15.51
Write-off/ Write-back of excess provisions	79.34
Closing Balance	82.77

Disclosures on portfolios subjected to standardized approach

Bank has computed credit risk capital on all its portfolios by applying risk weights as prescribed by Reserve Bank of India for Standardised Approach. Reserve Bank of India has recognized external ratings for application of preferential risk weight for corporate exposures. For the purpose of application of external credit ratings, rating by recognized external credit rating agencies as follows are made use of:

1. CRISIL
2. ICRA
3. CARE
4. FITCH (INDIA)

The external ratings available in the public domain were utilized for application of preferential risk weights through the mapping process defined by Reserve Bank of India:

- Long Term and Short Term Bank Loan ratings are used for Bank's Long and Short term exposures respectively.
- Where issuer rating is assigned, same is used for Bank's exposure
- External public ratings are used only when our exposures are senior or pari-passu to the external ratings.
- Short term ratings are issue specific and are not used for mapping long term exposures. However, wherever short term ratings are applied to unrated short term exposures, the relevant short term exposure attracts a risk weight of atleast one level higher than the risk weight applicable to the rated short term of the counterparty.
- The tenor of the bond/debenture rated by external rating agencies is taken for mapping residual maturity with Bank's exposure as per the total period considered by the rating agencies for repayment.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम को कम करने के बाद की निवेश की रकम:

(करोड़ रुपयों में)

जोखिम भार वर्ग	ऋण जोखिम को कम करने के बाद ऋण	ऋण जोखिम को कम करने के बाद बाहरी श्रेणी निर्धारित ऋण	गैर श्रेणी निर्धारित
अग्रिम			
100% से कम जोखिम भार	53407.18	22,364.93	31042.25
100% जोखिम भार	22597.22	8,943.22	13,654.00
100% से अधिक जोखिम भार	7980.73	2,479.98	5500.75
कटौती	-	-	-
निवेश			
100% से कम जोखिम भार	25399.69	-	25399.69
100% जोखिम भार	56.05	-	56.05
100% से अधिक जोखिम भार	52.85	-	52.85
कटौती	-	-	-

ऋण जोखिम को कम करना

उधारकर्ताओं की ऋण जोखिम को कम करने के लिए बैंक की ऋण जोखिम नीति में निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ शामिल की गयी हैं ।

1. नकदी, जमाराशि सहित,
2. सोना
3. केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी प्रतिभूति, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
4. किसी ऐसी बीमा कंपनी की जीवन बीमा पालिसियाँ (घोषित अभ्यर्पण मूल्य सहित) जो आइ.आर.डी.ए. द्वारा नियंत्रित हो ।
5. नैगम ऋण प्रतिभूतियाँ
6. सूचीबद्ध कंपनियों की ईक्विटी
7. म्यूच्युअल फंड की यूनिटें
8. भूमि और भवन
9. कच्चा माल/बिक्री माल/उत्पाद और अन्य वस्तुएँ
10. बही ऋण और प्राप्य राशियाँ
11. चल संपत्तियाँ जैसे, मशीनें, वाहन इत्यादि
12. माल पर हक दस्तावेज

बासेल-II समझौते के अंतर्गत ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, जैसे भू-संपत्ति, स्टॉक, मशीन इत्यादि को मान्यता नहीं दी जाती है । नये ढांचे में केवल नकदी प्रतिभूति को मान्यता दी जाएगी जिन्हें “पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति” कहा जाता है । बैंक ने बासेल-II के अंतर्गत ऋण जोखिम को कम करने के उद्देश्य से केवल निम्नलिखित पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की है ।

1. बैंक की अपनी जमाराशियाँ सहित नकद
2. सोना
3. के.वी.पी. और एन.एस.सी. (अवरुद्धता अवधि के बिना)
4. जीवन बीमा पालिसी

Quantitative Disclosures

Exposure amounts after risk mitigation subject to standardized approach:

(Rs. in Crores)

Risk weight category	Exposure after Credit Risk Mitigation	Externally Rated Exposure after Credit Risk Mitigation	Unrated
Advances			
Below 100% Risk Weight	53407.18	22,364.93	31042.25
100% Risk Weight	22597.22	8,943.22	13,654.00
More than 100% Risk Weight	7980.73	2,479.98	5500.75
Deducted	-	-	-
Investments			
Below 100% Risk Weight	25399.69	-	25399.69
100% Risk Weight	56.05	-	56.05
More than 100% Risk Weight	52.85	-	52.85
Deducted	-	-	-

Credit Risk Mitigation

Bank's credit risk policy recognizes the following collaterals for mitigation of credit risk in borrowers:

1. Cash, including deposits
2. Gold
3. Securities issued by Central and State Governments, KVPs, NSCs
4. Life Insurance Policies with a declared surrender value of an insurance company which is regulated by IRDA.
5. Corporate Debt Securities
6. Equities of listed Corporates
7. Units of mutual funds
8. Land and Building
9. Raw materials/stock in trade/produce and other goods
10. Book debts and receivables
11. Movable assets such as machineries, automobiles etc.
12. Documents of title to goods

Standardised Approach for Credit Risk under Basel-II Accord does not recognize collaterals like landed property, Stock, machinery etc. The New Framework recognizes only cash collaterals, which are termed as “Eligible Financial Collaterals”. The following eligible financial collaterals are recognized by the bank for credit risk mitigation purposes for Basel II:

1. Cash including bank's own deposits
2. Gold
3. KVPs & NSCs (without Lock in Period)
4. Life Insurance Policy

जोखिम भारत आस्तियों का परिकलन करने से पहले और बाजार के उतार-चढ़ाव की वजह से संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति समायोजन करने के बाद संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य को निवेश के मूल्य के प्रति समायोजित करने के लिए अनुमति दी जाएगी। जमाराशियों द्वारा रक्षित निवेशों से भिन्न अन्य निवेशों के मामले में जहाँ परिपक्वता बेमेल है वहाँ जोखिम परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।

आभूषण ऋणों के मामले में बैंक मूल्यों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त मार्जिन रखता है। अतः प्रतिभूति का समायोजन करने के बाद भी, सोने के मूल्य पूरी ऋण राशि का समंजन करता है। के.वी.पी. और एन.एस.सी. के मामले में जोखिम को कम करने हेतु केवल उन संपार्श्विक प्रतिभूतियों की पहचान की जाएगी जिनकी तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि पूरी हो चुकी हो।

विनियामक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक ने ऋण संरक्षण के पहचान हेतु केवल निम्नलिखित पात्र गारंटीकर्ताओं की पहचान की है:

- * केन्द्र सरकार
- * राज्य सरकार
- * सी.जी.टी.एस.आइ. और
- * ई.सी.जी.सी.

गारंटीकृत अंश का परिकलन, गारंटर को भा.रि.बैं. द्वारा प्रदान किए गए जोखिम भार के आधार पर किया जाएगा।

बैंक ने, पात्र संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपनी ही जमाराशियों तथा एन.एस.सी./के.वी.पी. को लिया है। इसलिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के भीतर कोई बाजार या ऋण संकेद्रीकरण नहीं है।

मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रतिभूतिकरण का प्रकटीकरण

लागू नहीं, क्योंकि बैंक प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप नहीं कर रहा है।

व्यापार बही में बाज़ार जाखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के पास, उसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति है, जो विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धांतों, वित्तीय मानदण्डों, परिपक्वता सीमाओं, विभिन्न बाजार खण्डों में निवेश एवं परिचालन के लिए प्रवेश-स्तरीय श्रेणी निर्धारण के अनुरूप है। उक्त नीति में बाजार जोखिम प्रबंधन के रूप में निवेश संविभाग के लिए विभिन्न सीमाएँ, जैसे जारीकर्तावार सीमाएँ, अवधिवार सीमाएँ, एकल पार्टी निवेश सीमाएँ, उद्योगवार निवेश सीमाएँ, संशोधित अवधि आधारित सीमाएँ इत्यादि शामिल हैं। व्यापार संविभाग (एच.एफ.टी.) के लिए रखे गए निवेशों के लिए जोखिम आधारित सीमा का मूल्य (वी.ए.आर.) भी निर्दिष्ट किया गया है। बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का परिकलन, भा.रि.बैं. के बासेल-II मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संशोधित अवधि पद्धति के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण पर मासिक अंतरालों में किया जाता है।

परिमाणुत्मक प्रकटीकरण:

(करोड़ रुपयों में)

ब्याज दर जोखिम	287.33
ईक्विटी स्थिति जोखिम	49.26
विदेशी विनिमय जोखिम	10.26

परिचालन जोखिम:

बैंक के पास एक सुविस्तृत अनुदेश पुस्तिका है जिसमें उसके कारोबार के संपूर्ण विवरण दिए गए हैं। बैंक के आंतरिक और बाहरी गतिविधियों से संबंधित जानकारी/सूचनाओं को परिपत्रों के माध्यम से समय-समय पर इन अनुदेश पुस्तिकाओं में शामिल किया जाता है। बैंक के सभी प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में शाखाओं को विस्तृत जांच सूचियाँ उपलब्ध कराई गयी है। बैंक ने परिचालन जोखिम को नियंत्रित करने/रोकने के लिए विभिन्न नीतियाँ अपनाई है। बैंक ने धोखाधड़ी को रोकने के लिए धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है तथा के.वाइ.सी. और ए.एम.एल. नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए के.वाई.सी. और ए.एम.एल. नीति अपनाई है। बैंक ने संवेदनशील लेन-देन पर नियमित आधार पर

The value of the collateral is permitted to be offset against the value of the exposures before computing the Risk-Weighted Assets, after adjusting for possible future fluctuations in the value of collateral caused by market movements. In respect of exposures other than those covered by deposits, wherever there is maturity mismatch, risk mitigation has not been considered.

In case of jewel loans bank is taking sufficient margin to take care of volatility in value. Hence, even after adjusting for haircut, value of gold will completely off-set the exposures. In case of KVPs & NSCs, only those which have completed three years (lock in period) have been recognized for mitigation.

In line with regulatory guidelines, Bank has recognized only the following eligible guarantors for recognition of credit protection:

- Central Govt,
- State Govt,
- CGTSI and
- ECGC.

The guaranteed portion is assigned the risk weight of the guarantor provided by RBI.

As the bank has taken its own deposits and NSCs/KVPs as eligible collaterals, there are no market or credit concentrations within collaterals.

Securitization Disclosure for standardized approach

Not Applicable since bank does not undertake securitization activity

Market Risk in Trading Book

Qualitative Disclosures

The Bank has a board approved investment policy which articulates various guidelines, financial benchmarks, maturity limits, entry level ratings for investment and operations in various market segments. The policy consists, inter alia, various limits like issuer wise limits, duration limits, single party exposure limits, industry wise exposure limits, modified duration based limits etc. for the portfolio as part of market risk management. A value at risk (VaR) based limit is also stipulated for Held for Trading Portfolio (HFT). The capital charge for market risk is calculated at monthly intervals based on standardized approach under modified Duration Method as per Basel II guidelines of RBI.

Quantitative Disclosures

(Rs. in Crores)

Interest rate risk	287.33
Equity position risk	49.26
Foreign exchange risk	10.26

Operational Risk

Bank has well laid down manual of instructions covering the entire gamut of its business. These manuals are periodically supplemented with circulars to update the information with developments internal and external to the bank. Detailed checklists are provided to branches on all major products and services. Bank has put in place a series of policies in order contain operational risk exposures. Bank has put in place a fraud risk management policy to prevent frauds, KYC and AML policy to arrest KYC and AML violations. Bank had created off-site monitoring cells at head office

निगरानी रखने के लिए प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में परोक्ष निगरानी कक्ष स्थापित किए हैं, जो प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं ।

बैंक ने कारोबार निरंतरता संबंधी मामलों के समाधान के लिए एक सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना को कार्यान्वित किया है । सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कारोबार निरंतरता के समाधान हेतु एक नियर साइट और एक फार साइट के रूप में विस्तृत 'डिऑस्टर रिकवरी प्लान' अपनाया गया है । सूचना प्रणाली सुरक्षा के कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उसकी छेद्यता और भेद्यता का परीक्षण किया जाता है ।

बैंक ने परिचालन जोखिम के अंतर्गत पूंजी का निर्धारण करने हेतु बुनियादी सूचक दृष्टिकोण अपनाया है । नये पूंजी पर्याप्तता मानदण्डों के अनुसार, बैंक के परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार को भा.रि.बैं. की परिभाषा के अनुसार पिछले तीन वर्षों की तुलना में धनात्मक वार्षिक औसत सकल आय का 15% पर निर्धारित किया गया है ।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक, जोखिम पर अर्जन (ई.ए.आर.) माड्यूल के जरिए समय-समय पर आइ.आर.आर.बी.बी. की निगरानी करता है । इसके अलावा बैंक ने ई.ए.आर. हेतु एक वर्ष के लिए सहायता सीमा की रूप में रु. 125 करोड़ की सीमा निर्धारित की है । ई.ए.आर. का परिकलन करते समय यह माना गया है कि हर छह महीने में बैंक की पी.एल.आर. में परिवर्तन होगा ।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) मुद्रा के उतार-चढ़ाव (जहाँ पण्यवर्त कुल पण्यवर्त के 5% से अधिक है) के कारण आइ.आर.आर.बी.बी. के आंकने के लिए प्रबंधन की पद्धति के अनुसार ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी दर शॉक के लिए अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संगत उपाय) में वृद्धि (गिरावट) हेतु परिमाणात्मक प्रकटीकरण को अपनाया गया है ।

संपूर्ण तुलन-पत्र के लिए परिकलित ई.ए.आर. के अनुसार एक वर्ष का ई.ए.आर. रु.49.11 करोड़ है । जिसकी ब्याज दर में 1% का परिवर्तन हो सकता है । यह बैंक द्वारा निर्धारित रु.125 करोड़ की छूट सीमा के भीतर है ।

and regional offices to monitor sensitive transactions on a regular basis to serve as an early warning system.

Bank had implemented well defined business continuity plan in order to address business continuity issues. A detailed disaster recovery plan has been put in place, one near site and one far site is maintained to address IT related business continuity. Information security is managed through information security policy. Periodical vulnerability and penetration testing are conducted to ensure integrity of the information system security.

Bank has adopted Basic Indicator approach to assess the capital under operational risk. In terms of new capital adequacy norms, Banks' operational risk capital charge has been assessed at 15% of positive annual average Gross Income over the previous three years as defined by RBI.

Interest rate risk in banking book

Qualitative disclosures

a) Bank is monitoring the IRRBB through Earning at Risk (EaR) Module periodically. Bank has also fixed a limit of Rs. 125 Crores as the tolerance limit for EaR for one year. While calculating the EaR it is assumed that PLR of the bank will be changed once in 6 months.

Quantitative disclosures

a) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover)

As per the EaR arrived for the entire balance sheet, the same is at Rs. 49.11 Crs. for one year with an expected change in interest rate by 1%. This is within the tolerance of Rs. 125 crs. fixed by the bank.